शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : सुश्री भावना गौड़.

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 299

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र में पालम वार्ड के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने मेन रोड पर लगभग 700 गज जमीन पर बेसमेंट सहित बिल्डर–फ्लैट्स एवं कमर्शियल–कॉम्लेक्स बनाया जा रहा है;	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र के रिकार्ड के अनुसार, डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं 343 और 344 के अंतर्गत इस प्रोपटी पर कार्यवाही कर दी गई है।
ख	क्या यह भवन बिल्डिंग–बाईलॉज के अनुसार बनाई जा रही है;	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** जी नहीं।
ग	इस भवन में पार्किंग की क्या व्यवस्था की गई है;	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त भवन निर्माण के अन्दर तहखाने के उपर (Stilt Floor) पार्किंग की व्यवस्था की गई है एवं भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र के रिकार्ड के अनुसार डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं 343 और 344 के अंतर्गत इस प्रोपटी पर कार्यवाही कर दी गई है।
घ	इस भवन के निर्माण के लिए पानी की आपूर्ति कहां से की गई थी;	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** रिकार्ड के अनुसार, यह सूचना भवन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
च	क्या इस भवन में सीवर–कनेक्शन भी दिया गया है;	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'घ' के अनुसार ।
छ	क्या पालम विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के अन्य भवन भी बन रहे हैं; और	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** इस संबंध में इस भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार का कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। यदि अनधिकृत निर्माण के बारे में भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र के संज्ञान में आता है तो उस पर डी.एम.सी. एक्ट की धाराओं 343 और 344 के अंतर्गत निर्माणकर्त्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।
ज	यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है?	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** इस संबंध में इस भवन विभाग नजफगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार का कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया जाता है।

R.S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat